

## प्रेस विरूप्ति / Press Release

4 अप्रैल / April, 2020

## कोरोनावाइरस के विरुद्ध लड़ाई में सिडबी द्वारा एमएसएमई उद्यमियों की मदद हेतु अतिरिक्त पैकेज की घोषणा

## SIDBI announces additional package for MSMEs to help fight against coronavirus

कोरोनावाइरस के विरुद्ध लड़ाई में राष्ट्र के हित को ज़हन में रखते हुए, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न प्रमुख वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने आज कोरोना वाइरस के विरुद्ध लड़ी जा रही इस लड़ाई में एमएसएमई उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कई अतिरिक्त सहायताकारी उपायों की घोषणा की हैं। ये उपाय निम्नान्सार हैं:

Keeping the nation's interest in mind about the fight against coronavirus, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), has announced a slew of additional support measures for MSMEs to strengthen the fight against coronavirus. These measures are as follows:

- सरकार की ओर से प्राप्त पुष्ट आपूर्ति-आदेशों के खातिर आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए एक नया उत्पाद सेफ प्लस भी आरंभ किया गया है, जिसके तहत रु.100 लाख तक का आवर्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूतियों के दिया जाएगा और 48 घंटों के भीतर संवितरित किया जाएगा। इसके अलावा, ऋण की राशि-सीमा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पूरे स्पेक्ट्रम में समान रूप से रखा गया गया है, बशर्त ऐसे उधारकर्ताओं के पास सरकार की ओर से आपूर्ति विषयक आदेश हों। ब्याज की दर सिर्फ 5% ही होगी।
- A new product SAFE (SIDBI Assistance to Facilitate Emergency response against coronavirus) Plus has been introduced to provide emergency working capital against confirmed government orders, under which revolving working capital term loans shall be provided up to Rs. 100 lakh. The loans will be without collateral properties and will be delivered within 48 hours. Besides that, this limit has been made uniformly applicable across the entire spectrum of MSMEs subject to such borrowers having government orders. The rate of interest would be a nominal 5%.

- एक और प्रमुख पहल के तौर पर उन एमएसएमई इकाइयों के लिए, जो संबन्धित राज्य सरकारों के विशेष नीति पैकेज के तहत ब्याज अनुदान / सबवेंशन अथवा पूंजी अनुदान हेतु अर्ह हैं, एसएएफई योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को रु.50 लाख से बढ़ाकर रु. 2 करोड़ कर दिया गया है।
- In another major initiative, the limit of SAFE (SIDBI Assistance to Facilitate Emergency response against coronavirus) loans which was launched few days back, has been enhanced from Rs. 50 lakh to Rs. 2 crore for executing government orders by those MSMEs which are eligible under the respective State Government's special policy package for interest subsidy / subvention or capital subsidy.
- एसएएफ़ई और एसएएफ़ई-प्लस के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु अर्ह उत्पादों की सूची को पूर्व के 21 उत्पाद से आगे बढ़ाकर अब इसमें उन सभी चिकित्सा उत्पादों को शामिल कर लिया गया है, जो संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई के लिए खरीदे जा रहे हैं।
- The list of products eligible for financing under SAFE and SAFE PLUS has been expanded from 21 products earlier to all medical products being procured by the respective State Government under the fight against COVID-19.
- सिडबी ने अपनी स्माइल नामक अग्रणी योजना के अंतर्गत भी स्वास्थ्य-चिकित्सा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त वित्तीय खिड़की खोली है। एतदर्थ, स्माइल के तहत मध्यम और दीर्घावधि के लिए ऋण आकर्षक ब्याज दरों पर दिए जाएंगे।
- SIDBI has also opened an additional financial window for healthcare sector under its flagship scheme called SMILE (SIDBI Make in India Soft Loan Fund for Micro Small and Medium Enterprises). Now, medium and long-dated loans under SMILE at attractive rates shall be provided.

सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद मुस्तफा, आईएएस ने कहा, "त्वरित प्रतिक्रिया हेतु तैयार रहना, इस समय के मांग हैं और सिडबी, उद्यम पारितंत्र को सशक्त बनाने के लिए अपने तत्पर प्रयास निरंतर जारी रखेगा। हम एमएसएमई को आश्वस्त करते हैं कि वित्त तक उनकी पहंच को सुगम बनाकर, हम COVID-19 को अलग-थलग कर देंगे और राष्ट्र के संकल्प को सुदृढ बनाएँगे।"

Shri Mohammad Mustafa, IAS, Chairman and Managing Director of SIDBI said, "Being responsive is call of the hour and SIDBI shall continue making proactive efforts in strengthening the enterprise ecosystem. We can assure MSMEs that through ease of access to finance, we will isolate COVID-19 and strengthen nation's resolve."

सिडबी के बारे में: 1990 में अपने गठन के बाद से सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी हिष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकासात्मक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के जीवन को छुआ है, चाहे ये पारंपरिक व घरेलू छोटे उद्यमी हों;

उद्यमिता पिरामिड के निम्नतम स्तर के उद्यमी हों अथवा उच्चतम स्तर के ज्ञान-आधारित उद्यमी हों।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट https://www.sidbi.in पर जाएँ।

**About SIDBI:** As a Development Financial Institution, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements.

To know more, check out: https://www.sidbi.in

मीडिया संपर्क: नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: +91 8879760249, ई-मेल: neelasrib@sidbi.in

Media contact: Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in